न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अ...

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पी. ओ.

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पी. ओ.
19.12.17	वकील प्रार्थी [illegible] पत्रावली [illegible] Tg की [illegible] वास्ते [illegible] 07.2.18 को पेश हो। [illegible]
7/2/18	वकील उभय पक्ष [illegible] को [illegible] वास्ते 20.2.18 को पेश हो। [illegible]
20/2/18	वकील उभय पक्ष [illegible] को [illegible] वास्ते 10.4.18 को पेश हो। [illegible]
10/4/18	वकील उभय पक्ष वास्ते बहस [illegible] दिनांक 10.5.18 को पेश हो। [illegible]
	पत्रावली पेश हुई। [illegible] आइन्दा पत्रावली कैम्प कोर्ट/ [illegible] में दिनांक 9.5.18 को पेश हो। [illegible] एस डी ओ/ [illegible]
9/5/18	पत्रावली कैम्प कोर्ट में पेश हुई। वादी का [illegible] स्वीकार किया [illegible] प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पत्रावली [illegible] होकर [illegible] से [illegible] दाखिल दफ्तर हो। [illegible]

Scanned by CamScanner

RA Report
9.6.16

सेवामे,

अदालत उप खण्ड अधिकारी साहब,

कोटकासिम (अलवर)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 118 सन् 2016
9/6/16

1– देशराम उम्र करीब 70 साल पुत्र मेहरचन्द जाति जाट निवासी जालाका तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0

:– वादी/ प्रार्थी

बनाम

1– राजाराम उम्र करीब 50 साल पुत्र पन्नालाल जाति जाट निवासी जालाका तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0

:– प्रतिवादी/ अप्रार्थी

दावा हुक्मइम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम

श्रीमान,

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम वो आदेश 39 नियम 1 व 2 वो धारा 151 जा0 दी0 मिन जानिब वादी/ प्रार्थी की ओर से निम्न प्रस्तुत है :–

1– यह है कि उपरोक्त अनुवान का वाद विस्तृत वाकेआत के साथ अदालत श्रीमान मे दायर कर दिया है जिसमे प्रार्थी को कामयाबी की पूरी पूरी आशा है।

2– यह है कि पेशकर्दा दस्तावेजात वो शपथ पत्र प्रार्थी से प्रार्थी का केस प्राईमाफैर्सा जाहर वो साबित है ,एंव वाद वादी काबिल डिकी है।

3– यह है कि आराजी खसरा नम्बर 546 रकबा 0.10 हे0 वाके ग्राम कैरवा तहसील कोटकासिम जिला अलवर मे स्थित है। जो आराजी आगे प्रार्थना पत्र मे विवादित आराजी कहलायगी ।

4– यह है कि आराजी खसरा नम्बर 546 रकबा 0.10 हे0 सालिम वाके ग्राम कैरवा तहसील कोटकासिम मिन वादी के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जो बाहमीतोर बंटवारा मे मिन वादी के हिस्से मे आया हुआ है जिस सालिम रकबा पर मिन वादी काबिज वो दखील है । मोके पर काबिज वो दखील है।राजस्व रिकार्ड हाल जमाबन्दी सम्वत 2071 लगासयत 2074 मे मिन वादी के नाम सह

देशराम

Scanned by CamScanner

खातेदारी का अमल हो रहा है छाया प्रतिलिपी जमाबन्दी सम्वत 2071 लगायत 2074 प्रार्थना पत्र के साथ पेश है

5– यह है कि उकत आराजी सालिम रकबा मिन वादी के हिस्से मे आया हूआ है जिसका प्रतिवादी राजस्व रिकार्ड मे बंटवारा नही करना चाहता है प्रतिवादी ने उक्त आराजी सहित दीगर आराजीयात का वाद तकासमा का अदालत श्रीमान मे दायर किया था जो बंटवारा का वाद प्रतिवादी ने दिनांक 9–6–2015 को खारिज करा लिया।जिससे साबित है कि प्रतिवादी उक्त आराजी का बंटवारा नही कराना चाहता है वो येन केन मिन वादी के उपयोग उपभोग मे मजाहमत पैदा करता रहता है।

6– यह है कि उक्त विवादित आराजी से प्रतिवादी का कोई लेना देना नही हैं, ना ही वह काबिज है, वो गेर काबिज, वो गेर वास्ता आराजी हे। प्रतिवादी मूठमर्द वो लडाका किस्म का व्यक्ति है। दिनांक 24–5–2016 को प्रतिवादी ने ऐलानिया धमकी दी है कि वो उक्त आराजी से मिन वादी को जबरन बेदखल करेगा काश्त नही करने देगा यदि प्रतिवादी अपने मन्सूबो मे कामयाब हो गया तो मिन वादी को अजहद हानि होगी दीगर मुकदमे बाजी मे फॅसना पडेगा इसलिए प्रतिवादी को जर्ये हुक्मइम्तनाई चन्दरोजा से पाबन्द किया जावे।

7– यह है कि सुविधा का सन्तुलन वो नापूर्ती होने वाली क्षति प्रार्थी के पक्ष मे है।

8– यह है कि प्रार्थना पत्र पर 2/–रूपये कोर्टफीस चस्पा कर पेश है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर ताफैसला दावा अप्रार्थी को पाबन्द किया जावे कि वो आराजी खसरा नम्बर 546 रकबा 010 हे0 सालिम वाके ग्राम कैरवा तहसील कोटकासिम से वादी को जबरन बेदखल नही करे ना ही जबरन आराजी मे प्रवेश करे ना ही वादी के उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार मजाहमत वो मदाखलत पैदा करे ना ही वादी को फसल बोने वो दरो करने मे रूकावट पैदा करे ना ही गलत इन्द्राज के आधार पर दीगर लोगो को जर्ये रहन बय हिबा लीज इत्यादि के द्वारा मुन्तकिल करे बेचान करे रिकार्ड वो मोका की यथास्थिति बनाये रखे।

दिनांक 25–5–2016

प्रार्थी

देशराज पुत्र मेहरचन्द जाति जाट निवासी जालाका तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0

:– वादी/ प्रार्थी

देशराज

Scanned by CamScanner

सेवा मे,

न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,

कोटकासिम जिला अलवर राज0

देशराज बनाम राजाराम

दावा हुक्मईम्तनाईदवामी

श्रीमानजी,

जबाबप्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 212 राज0 टी0 ऐ0 मिन अप्रार्थी/प्रतिवादी राजाराम की और से निम्न पेश है:-

1. यह है कि प्रार्थनापत्र का जिमन नं0 1 सिर्फ इतना स्वीकार है कि प्रार्थी ने उक्त अनुवानी वाद अदालत श्रीमान के समक्ष पेश किया हुआ है। बाकी जिमन गलत है, अस्वीकार है। प्रार्थी/वादी को उक्त अनुवानी वाद मे कामयाबी की कतई भी उम्मीद नही करनी चाहिये।

2. यह हे कि प्रार्थनापत्र का जिमन नं0 2 गलत है, अस्वीकार है। प्रार्थी ने गलत तथ्यो के आधार पर झूँठा वादपत्र, झूँठा शपथपत्र पेश किया है। जिनसे प्रार्थी का केस प्राइमाफेसाई आयद व साबित नही होता है। वाद वादी काबिल खारिज है, खारिज फरमाया जावे।

3. यह है कि प्रार्थनापत्र का जिमन नं0 3 सिर्फ इतना स्वीकार है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 546 रकबा 0.10 है0 वाके ग्राम कैरवा तह0 कोटकासिम जिला अलवर राज0 में स्थित है। बाकी जिमन गलत है, अस्वीकार है। वादी ने आराजी को बेजा रूप से विवादित बनाया है। आराजी किसी भी रूप मे विवादित नही है।

4. यह है कि प्रार्थनापत्र का जिमन नं0 4 गलत है, अस्वीकार है। विवादित आराजी का बाहमी बटॅवारा नही हुआ है! ना ही विवादित आराजी सालिम पर वादी मौके पर काबिज काश्त है। वास्तविकता यह है कि विवादित आराजी मिन प्रतिवादी व वादी व अन्य सहखातेदारो काश्तकारो की आराजी है। विवादित आराजी मे मिन प्रतिवादी का 1/5 भाग खातेदारी कब्जा काश्त का है। जिस पर मिन प्रतिवादी मौके पर काबिज व दखिल होकर काश्त करता चला आ रहा हूँ। मिन प्रतिवादी के नाम का अमल दरामद राजस्व रिकोर्डस मे दर्ज हो रहा है।

Scanned by CamScanner

5. यह है कि प्रार्थनापत्र का जिमन नं0 5 गलत है, अस्वीकार है। वास्तविकता यह है कि विवादित आराजी का बाहमी बटॅवारा नही हुआ और ना ही वादी विवादित आराजी सालिम पर काबिज काश्त है। यह सही बात है कि मिन प्रतिवादी ने विवादित आराजी सहित दीगर आराजीयात के बटॅवारा का वाद अदालत श्रीमान मे दायर किया था। वादी ने मिन प्रतिवादी से कहा था कि आप बटॅवारा का दावा वापिस ले लो हम सभी सहखातेदार काश्तकार आपसी सहमति से बटॅवारा करा लेगे, वादी द्वारा यह कहने पर मिन प्रतिवादी ने दिनांक 9/6/15 को बटॅवारा का दावा खारिज करा लिया। दावा खारिज कराने के बाद वादी अपनी इन बातो से मुकर गया। वादी स्वंय ही राजस्व रिकोर्ड मे बटॅवारा नही करना चाहता है।

6. यह है कि प्रार्थनापत्र का जिमन नं0 6 गलत है, अस्वीकार है। विवादित आराजी मे मिन प्रतिवादी अपने 1/5 भाग पर काबिज व दखिल होकर काश्त करता चला आ रहा हूॅ। मौके पर मिन प्रतिवादी का विवादित आराजी के 1/5 भाग पर वास्तविक कब्जा काश्त है। राजस्व रिकोर्ड मे मिन प्रतिवादी के नाम का अंकन हो रहा है। वादी स्वंय ही लडाका वो मुठमर्द प्रवृति का व्यक्ति है जो कि आये रोज मिन प्रतिवादी के 1/5 भाग के कब्जा काश्त मे मजामहत व मदालखत पैदा करता रहता है व जब्रन लठ के बल पर अपना कब्जा करना चाहता है। दिनांक 24/5/16 की समस्त कहानी वादी ने नितान्त झूॅठी,मिथ्या वो बनावटी दर्ज की है जिसमे रतिभर भी सच्चाई नही है। प्रार्थी/ वादी को किसी भी प्रकार से अजहद की हानि नही होती है। और ना ही प्रार्थी/वादी, मिन अप्रार्थी/ प्रतिवादी रिकोर्डड काबिज खातेदार काश्तकार को किसी भी सूरत मे कानूनन जरिये हुक्मईम्तनाईचन्दरोजा से पाबंद करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र काबिल खारिज है, खारिज फरमाया जावे।

7. यह है कि प्रार्थनापत्र का जिमन नं0 7 गलत है, अस्वीकार है। सुविधा का संतुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति बहक मिन अप्रार्थी/प्रतिवादी हूॅ।

8. यह है कि प्रार्थनापत्र का जिमन नं0 8 काबिल गौर अदालत श्रीमान है।

अतः प्रार्थना गलत है, अस्वीकार है। प्रार्थी, मिन अप्रार्थी/प्रतिवादी रिकोर्डड काबिज खातेदार काश्तकार को कानूनन किसी भी सूरत मे जरिये हुक्मईम्तनाई चन्दरोजा से पाबंद करवाने का अधिकारी नही है। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र काबिल खारिज है, खारिज फरमाया जावे।

अतः जबाब प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन हे कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र मय हर्जो–खर्चो खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी/प्रतिवादी

राजाराम पुत्र श्री पन्नालाल जाति जाट निवासी ग्राम जालाका तह0 कोटकासिम जिला अलवर राज0

राजाराम

Scanned by CamScanner

सेवा मे,

श्रीमान न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय,

कोटकासिम जिला अलवर राज0

देशराम बनाम राजाराम

दावा हु0 ई0 दवामी

शपथपत्र

मै राजाराम श्रीपन्नालालउम्र करीब 60 साल जाति जाट निवासी जालाका तह0 कोटकासिम जिला अलवर राज0 का हूँ।

1. मै ससपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि जबाब प्रार्थनापत्र मे प्रस्तुत समस्त ईबारत मेरे ज्ञान से सही है। शपथपत्र को जबाब प्रार्थनापत्र का जुज मानाजाकर साथ पढा जावे।

दिनांकः– 27-12-16

राजाराम

शपथपत्र का पेरा 1 मेरे ज्ञान से सही है कोई तथ्य गलत या मिथ्या नही है। ईश्वर मेरा साक्षी है।

दिनांकः– 27-12-16

राजाराम

राजाराम

Scanned by CamScanner